Office of Chief Electoral Officer
Rajasthan Secretariat, Jaipur

E-Mail: ceojpr-rj@nic.in &
raj.election.media24@gmail.com

Press Release **26-10-2025**

अंता विधानसभा उपचुनाव-2025

बिहार चुनाव और उपचुनाव 2025: साइलेंस पीरियड में चुनावी सामग्री और एग्जिट पोल के प्रदर्शन पर रोक

भारत निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर, 2025 को बिहार विधान सभा के आम चुनाव और उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की। बिहार चुनाव में मतदान क्रमशः 6 नवंबर, 2025 और 11 नवंबर, 2025 को दो चरणों में होगा और राजस्थान में अंता विधानसभा के लिए उपचुनाव 11 नवंबर, 2025 को होगा।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (बी), किसी भी मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ, टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनावी सामग्री को प्रदर्शित करने पर रोक लगाती है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि टीवी/रेडियो चैनलों और केबल नेटवर्कों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपरोक्त धारा में निर्दिष्ट 48 घंटों की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्रसारित/प्रदर्शित कार्यक्रमों की विषय-वस्तु में पैनलिस्टों/प्रतिभागियों के विचार/अपील सहित ऐसी कोई सामग्री शामिल न हो जिसे किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवार (या उम्मीदवारों) की संभावनाओं को बढ़ावा देने/पूर्वाग्रहित करने या चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने वाला माना जाए। इसमें किसी भी जनमत सर्वेक्षण का प्रदर्शन भी शामिल है।

आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए के अंतर्गत अधिसूचित किया है कि 6 नवंबर, 2025 (गुरुवार) को सुबह 7:00 बजे से 11 नवंबर, 2025 (मंगलवार) को शाम 6:30 बजे तक प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल और उनके परिणामों का प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

आयोग सभी मीडिया समूहों को सलाह देता है कि वे इसकी भावना के अनुरूप इस संबंध में निर्देशों का पालन करें।

Office of Chief Electoral Officer
Rajasthan Secretariat, Jaipur

E-Mail: ceojpr-rj@nic.in &
raj.election.media24@gmail.com

Press Release

26-10-2025

अंता विधानसभा उपचुनाव-2025

निर्वाचन आयोग ने चुनावों में एआई-जनित सामग्री के दुरुपयोग पर लगाई रोक, पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु जारी किए नए निर्देश

जयपुर, 26 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने चुनावों के दौरान कृत्रिम रूप से निर्मित जानकारी (synthetically generated information) और एआई-जनित सामग्री (AI-generated content) के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं प्रचार प्रतिनिधियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सामग्री चुनावी अखंडता, मतदाता विश्वास और समान अवसर के सिद्धांतों के लिए गंभीर खतरा बन रही है।

आयोग के ताज़ा परामर्श में कहा गया है कि तकनीकी साधनों से तैयार या संशोधित की गई कृत्रिम सामग्री वास्तविकता का भ्रम पैदा करती है, जिससे मतदाता गुमराह हो सकते हैं और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए यह परामर्श जारी किया है, ताकि चुनावी प्रचार में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे।

निर्वाचन आयोग ने यह भी स्मरण कराया है कि सभी राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों को सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 (IT Rules, 2021) और आयोग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों (दिनांक 6 मई, 2024 और 16 जनवरी, 2025) का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।

निर्वाचन आयोग ने प्रमुख निर्देश दिए हैं कि

1. एआई या डिजिटल रूप से संशोधित सामग्री की लेबलिंग अनिवार्य -

किसी भी कृत्रिम रूप से निर्मित (synthetically generated) या एआई-संशोधित (AI-altered) छवि, ऑडियो या वीडियो पर "AI-Generated", "Digitally Enhanced" या "Synthetic Content" जैसे स्पष्ट लेबल का प्रदर्शन अनिवार्य होगा। दृश्य सामग्री में यह लेबल दृश्य क्षेत्र के कम से कम 10% भाग को कवर करे। वीडियो में यह ऊपरी भाग (top band) पर प्रदर्शित हो। ऑडियो सामग्री में यह प्रारंभिक 10% अवधि तक सुनाई दे।

2. उत्तरदायी इकाई का नाम प्रदर्शित करना आवश्यक -

हर एआई-जनित सामग्री में उसके निर्माण के लिए उत्तरदायी इकाई का नाम या तो मेटाडाटा (metadata) में या कैप्शन में दर्शाया जाए।

3. भ्रामक या अवैध सामग्री पर प्रतिबंध -

ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित या साझा नहीं की जा सकती जो किसी व्यक्ति की पहचान, रूप या आवाज़ को उसकी सहमति के बिना गलत रूप में प्रस्तुत करे या मतदाताओं को भ्रमित करने की संभावना रखती हो।

4. भ्रामक सामग्री हटाने की समयसीमा -

यदि किसी राजनीतिक दल के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भ्रामक, एआई-जनित या कृत्रिम रूप से संशोधित सामग्री पाई जाती है, तो उसे रिपोर्ट या संज्ञान में आने के 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा।

5. एआई सामग्री का अभिलेख रखना अनिवार्य -

सभी राजनीतिक दलों को अपनी एआई-जनित प्रचार सामग्री का आंतरिक अभिलेख (internal record) रखना होगा, जिसमें निर्माता का विवरण और समय-चिह्न (timestamps) शामिल हों। आयोग द्वारा मांग किए जाने पर यह अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये सभी निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और सभी सामान्य एवं उपचुनावों में प्रभावी रहेंगे। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन गंभीर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।